संख्या-7/2016/428/63-व0उ0-2016-117(एच)/07टी0सी0

प्रेषक,

हरिशंकर भट्ट,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 2016**

विषय:- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत "विपणन प्रोत्साहन" मद में वर्ष 2011-12 के दावों के सापेक्ष मुरादाबाद परिक्षेत्र की 01 समिति के भुगतान की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1745/हक-एकी0हथ0वि0यो0-वि0प्रो0/2015-16, दिनांक 18.03.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय हथकरघा विकास योजना के अन्तर्गत "विपणन प्रोत्साहन" मद में वर्ष 2011-12 के दावों के सापेक्ष मुरादाबाद परिक्षेत्र की 01 बुनकर सहकारी समिति मे0 डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को0 बुनकर टेक्सटाइल यूनियन लि0, रूस्तमपुर तिगरी, मुरादाबाद के भुगतान हेतु लम्बित धनराशि रू0 1.00 लाख (राज्यांश) एवं रू0 1.00 लाख (केन्द्रांश) कुल **रू0 2.00 लाख (रूपया दो लाख मात्र)** के भुगतान की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करने से पूर्व भारत सरकार द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश के निर्देशों का अनुपालन करते हुए भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत ही धनराशि अवमुक्त/व्यय की जा सकेगी।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके 01 माह में शासन के सम्बन्धित विभागों को व भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि के मासिक व्यय विवरण प्रपत्र-बी0एम0-13 में सचिव, वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर का होगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-103-हथकरघा उद्योग-आयोजनागत-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102-राष्ट्रीयकृत हथकरघा विकास योजना-27 सब्सिडी" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में वर्णित निर्देशों/प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,
(हरिशंकर भट्ट)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-428/63-व0उ0-2016-117(एच)/07 टी0सी0, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली।

3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।

4- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।

5- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, समितियाँ एवं पंचायतें, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, अशोग मार्ग, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरिशंकर भट्ट)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in